

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/67
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00060
CICOM/R/2018/00076

दिनांक: 16.03.2018

अपीलकर्ता : श्री अशोक कुमार, पुत्र - श्री श्रीराम,
रिटायर्ड रे0 स्टे0 मास्टर,
मो0 - आदर्शनगर कालोनी, गली नं. 1,
रोजा जं., पो0 - रोजा आर.एस.,
जिला - शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 16.03.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	16.01.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.02.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	81/23.02.2018 (112278/22.02.2018)

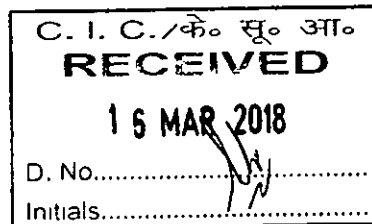
1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग के निर्णय सं. CIC/AB/A/2016/000396 के अनुपालन में रेल मंत्रालय द्वारा आयोग को प्रेषित दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त - ए.बी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है तथा प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में दस्तावेज में उपलब्ध चौदह पृष्ठ भेजे जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु सूचना के साथ एक भी पृष्ठ संलग्न नहीं है ।

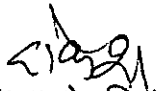
2. श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त - ए.बी. कार्यालय द्वारा बताया गया अपीलकर्ता को वांछित सूचना 14 पृष्ठों के साथ प्रेषित की जा चुकी है । उक्त संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि शायद डिस्पैच कर्मों द्वारा लिफाफा बनाते समय भूलवश अनुलग्नक बाहर रह गया हो । किसी वजह से पूर्ण सूचना न मिल पाने के कारण अपीलकर्ता को हुई परेशानी के लिए श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा खेद व्यक्त किया गया । अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना (14 पृष्ठों के अनुलग्नक सहित) इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है ।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक - यथोपरि ।




(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।


16/03/18